न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **75/2024 GCMS 2024/162**

प्रार्थीः–

1. किशनलाल पुत्र लादूराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
2. पटवारी हल्का अड़कसर तहसील कुचामन सिटी
3. नायब तहसीलदार उप तहसील चितावा तहसील कुचामन सिटी
4.

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड शुद्धि व नक्शा तरमीम शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 129, 130, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
राज. पैराकार उपस्थित।

–:निर्णय :–

दिनांकः– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का अड़कसर तहसील कुचामन के गत खसरा नंबर 233 जिसके नवीन भूप्रबंधक कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नंबर 336/225, 226, 227 कायम हुये। ग्राम दौलतपुरा के नवीन ख.नं. 336/225 रकबा 2.3806 है. व ख.नं. 335/225 रकबा 0.049 है. कुल रकबा 2.43 है. प्रार्थी कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की दर्ज चली आ रही है। गत खसरा नंबर 233 के नवीन खसरा नंबर बनाते समय नवीन खसरा नंबर 226, 227 व खसरा नंबर 225 कायम हुये उस समय अलग–अलग नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय खसरा नंबर 226, 227 व खसरा नंबर 225 के मध्य की सीमा को तिरछा व घुमाव डाल दिया गया जबकि मौके पर सिधी है जो आज भी उसी अनुसार कायम चली आ रही है। खसरा नंबर 225 में प्रार्थी ने अपनी ट्यूबवेल बनाकर कृषि कर रहा है अपनी आजीविका को चला रहा है इसके अलावा प्रार्थी के पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है। मौके पर आज दिनांक भी खसरा नंबर 336/225 व खसरा नंबर 227 के मध्य सीमा ... की हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.) कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जो कि सिधी की हुई उसी अनुसार प्रार्थी नक्शे में व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार उपरोक्त भूमि का नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जावे इस हेतु यह प्रार्थना पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है जिसका प्रार्थी अधिकारी है। उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 227 की भूमि कम कर रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाकर उपरोक्त रिकॉर्ड दुरूस्ती का रकबा खसरा नंबर 336/225 में से रकबा कम किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर नक्शा तरमीम में शुद्धि किया जावे इसलिए यह प्रार्थना पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है। ग्राम दौलतपुरा के खसरा नंबर 336/225 रकबा 2.3806 है. व ख.नं. 335/225 रकबा 0.049 है. व खसरा नंबर 226, 227 के मध्य की सीमा का राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर काबिज अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान कराने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 की से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 227 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है जिसकी किस्म गै.मु. नाड़ी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को व राज. पैराकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम दौलतपुरा के नवीन ख.नं. 336/225 रकबा 2.3806 है. व ख.नं. 335/225 रकबा 0.049 है. व खसरा नंबर 226, 227 के मध्य की सीमा का राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर काबिज अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती कर नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि करवाये जाने का निवेदन किया है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 226 व 227 गै.मु. नाड़ी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जिसमें राजहित निहीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:36:04 IST
Reason: SelfAttested